

सेवामें,

महाप्रबंधक
उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय
देहरादून, उत्तराखण्ड

महोदय,

कर्मचारी पेंशन योजना (ई०पी०एस०) -1995, के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली पेंशन के संराशीकरण/कम्यूटेशन के संबंध में

उपर्युक्त विषयक महोदय को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना-1995, के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली मासिक पेंशन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में आवेदन कर दिया गया है , परन्तु अभी तक मेरी पेंशन की राशि स्वीकृत नहीं हुई है | कर्मचारी पेंशन योजना -1995, के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत हो जाने पर मेरे द्वारा पेंशन स्वीकृति से संबन्धित पीपीओ की प्रति अविलम्ब पेंशन प्रकोष्ठ , प्रधान कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी |

उक्त के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में उक्त ई०पी०एस० पेंशन के किसी भी भाग के संराशीकरण /कम्यूटेशन हेतु आवेदन नहीं किया गया है | उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक कर्मचारी पेंशन फंड से मुझे संराशीकरण /कम्यूटेशन राशि स्वीकृत हो जाने के पश्चात यदि उक्त पीपीओ या अन्य किसी माध्यम से मेरे द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना-1995, के अन्तर्गत प्राप्त पेंशन के किसी भाग के संराशीकरण /कम्यूटेशन की पुष्टि होती है तो इस कारण बैंक को होने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति मेरे मासिक पेंशन से किए जाने हेतु बैंक पूर्णतया हकदार होगा |

अतः महोदय से अनुरोध है कि मुझे उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक कर्मचारी पेंशन फंड से प्राप्त होने वाली पेंशन की पूर्ण राशि के सापेक्ष मेरी पात्रता के अनुसार संराशीकरण /कम्यूटेशन स्वीकृत करने की कृपा करें |

भवदीय

(हस्ताक्षर)

नाम व ईसी न० :

पता:

दिनांक: